न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 29 / 2018

महिला बहुउद्‌देशीय सहकारी समिति, ग्राम पंचायत टोड़ा 1 / 2 तहसील डीग जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी,भरतपुर दिनांक 08–10–2018 प्रकरण संख्या 21 / 2018

निर्णय दिनांक 08.05.2019

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 08–10–2018 के खिलाफ पेश की गई है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट की बिना साक्ष्य लिये पारित किया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के खिलाफ होने से खारिज योग्य है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि जिला रसद अधिकारी द्वितीय भरतपुर द्वारा प्रेषित कारण बताओ नोटिस का उचित जबाब प्रार्थी द्वारा मय सम्बन्धित उपभोक्ताओं के शपथ पत्र सहित दे दिया गया था। उसके बाबजूद जिला रसद अधिकारी द्वितीय भरतपुर ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब को कंसीडर नहीं किया है। क्योंकि कुछ शिकायत कर्ता अपीलांट भाई द्वारा सरपंची का चुनाव लडने के कारण राजनैतिक द्वेषता रखते हैं। इसलिए झूठी शिकायत की गई है। प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार राशन सामिग्री का वितरण पोष मशीन द्वारा ही किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। 1. तैयब पुत्र कल्लूहाजी जाति मेव निवासी ग्राम कावान का बास तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 420 किलो गेंहू एवं 20.5 लीटर तेल गबन निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अपना राशन प्रति माह प्राप्त करता रहा हू। 2. जैनम पत्नी ईदरिश जाति मेव निवासी ग्राम कावान का बास तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 280 किलो गेंहू एवं 40 लीटर तेल गबन

Web Copy, Not Official

निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अपना राशन प्रति माह प्राप्त करता रहा हू। 3. उस्मान पुत्र कल्लू जाति मेव निवासी ग्राम कावान का बास तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 15 लीटर तेल गबन निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। 4. सदीक पुत्र नसरू जाति मेव निवासी टोडा तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 350 किलो गेंहू एवं 28.5 लीटर तेल गबन निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अपना राशन प्रति माह प्राप्त करता रहा हू। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। 5. नसरू पुत्र सौ सिंह निवासी टोडा तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 24.5 लीटर तेल गबन निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अपना राशन प्रति माह प्राप्त करता रहा हू। 6. ईसराल पुत्र फजरू निवासी टोडा तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 650 किलो गेंहू व 26 लीटर तेल गबन निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। अपना राशन प्रति माह प्राप्त करता रहा हू। 7. शुबान खान पुत्र कल्लू निवासी कावन का बास तहसील डीग मेरे राशन कार्ड में जो 12.5 लीटर तेल गबन निकाला है वह गलत है। क्योंकि मेरे राशनकार्ड के कुछ पेज निकले हुए थे इसलिए राशनकार्ड में एंन्ट्री दिखाई नहीं दी। मुझे राशन डीलर से कोई शिकायत नहीं है। एवं बकाया शिकायत कर्ता के शपथ पत्र पेश करने को समय नहीं दिया गया। इसलिए शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है। इसमें प्रार्थी की कोई बदनीयत नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ कोई गबन या कालाबाजारी करने का या करते हुये पकडे जाने का कोई आरोप नहीं है। उपभोक्ताओं को कैरोसीन तेल का वितरण किया गया है। तहत न्यायालय ने अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर प्रतिभुति राशि जब्त करने का कठोर दण्ड दिया है जो न्यायोचित नहीं है। अपील स्वीकार की जाकर अपील आधीन निरस्त फरमाया जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने जाहिर किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच शिकायत पर की गई जांच में उपभोक्ताओं ने बताया कि टावर नहीं आने का कारण बताकर उपभोक्ताओं के घर जाकर अगूंठे लगवा लिये जाते हैं तथा राशनकार्ड डीलर द्वारा अपने पास रखे जाते हैं। बाद में उन कार्डो में मनमाने इन्द्राज कर लौटाया जाता है या कई बार नहीं भी लोटाया जाता है। राशनकार्डो में इन्द्राज नहीं मिलना तथा खुद इन्द्राजों का इन्द्राजो से भिन्न आनलाईन रिकोर्ड होना पाया गया तथा जांचे गये 17 राशनकार्डो के आधार पर 43.25 क्वि0 गेंहू एवं 412 लीटर केरोसीन का दूरूपयोग करना पाया गया। वक्त जांच डीलर की दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर पोस के रिकार्ड से 3.05 क्वि0 गेंहू कम पाया गया। वक्त जांच दुकान पर 325 लीटर कैरोसीन उपलब्ध पाया गया जबकि डीलर का मार्च 2018 का अन्तिम स्टाक निल था। माह अप्रैल की आपूर्ति 660 लीं तथा वक्त जांच तक वितरण 632.5 ली0 पाया गया।इस प्रकार वांछित स्टाक 27.5 ली0 के स्थान पर 325 लीटर केरोसीन का मिलना डीलर द्वारा 297.5 लीटर केरोसीन के वितरण बाबत अगूठे लगवाने के बाद वितरण नहीं करना दर्शाता है। तथा चीनी का भी 102.6 किलोग्राम स्टॅाक उपलब्ध नहीं पाया गया। जो शिकायत के तथ्यों की पुष्टि करता है। न्यायालय ने उचित आदेश पारित किया गया है। अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं के शपथ पत्र बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश विधिवत पारित किया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :—

अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर की तहत पत्रावली निर्णय प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 8.5.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ0 आरूषी मलिक)

जिला कलक्टर

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official